

FRY

पत्र संख्या-.....2397/आ0प्र0

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर0 के0 सिंह,  
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक 30 अगस्त, 2008

महाशय,

विभिन्न स्वयंसेवी संस्थानों/व्यक्तियों एवं निजी कम्पनियों से बाढ़ राहत कार्यों के लिए पेशकश की जा रही है। जो संस्थान/निजी व्यक्ति बाढ़ राहत कार्य के लिए सामग्री देना चाहते हैं उसके लिए निम्नांकित मार्गदर्शन दिये जा रहे हैं:

1. जो संगठन/संस्थान/निजी व्यक्ति सहायता में राशि देना चाहते हैं वे राशि क्रॉस चेक के माध्यम से "मुख्य मंत्री राहत कोष" में जमा कर सकते हैं।
2. जो संगठन/संस्थान/निजी व्यक्ति बाढ़ राहत कार्य के लिए सामग्री देना चाहते हैं वे जिला रेडक्रॉस सोसाइटी, जिसके पदेन अध्यक्ष जिला पदाधिकारी हैं, को सामग्री दे सकेंगे।
3. राज्य स्तर पर राहत सामग्री स्टेट रेडक्रॉस सोसाइटी को दी जा सकती है।
4. राहत कार्य के लिए रेडक्रॉस सोसाइटी के द्वारा उपलब्ध कराये गये सामग्रियों का लेखा-जोखा बिल्कुल अलग रखा जाय।

कृपया तदनुसार कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

(आर0 के0 सिंह)

प्रधान सचिव